14.10.21 - पत्रावली प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 कैम्प खुड़ीखुर्द में रखी गई। अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट सं० 5 उपस्थित। रेस्पोन्डेन्ट सं० 1 व 2 की ओर से जवाब/रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो शा० कि० रहे। उपस्थित पक्षों को सुना गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है

कानाराम कि राजस्व ग्राम पण्डवाला में खेत खं०नं० 151 रकबा 66.12 बीघा नये ख०नं० 167 रकबा 10.78 हैं० अपीलान्ट के पिता भंवरलाल के नाम दर्ज थी। जो जरिये फौतगी नामा० सं० 106 से अपीलान्ट को प्राप्त हुई। फौतगी नामान्तरण में अपीलान्ट का नाम कन्हैयालाल दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी अपीलान्ट के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड व अन्य सरकारी कागजात के कानाराम नाम दर्ज है। कानाराम पुत्र भंवरलाल तथा कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल नाम के एक ही व्यक्ति है। राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट का नाम कन्हैयालाल दर्ज होने से अपीलान्ट को भारी असुविधा हो रही है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरण सं० 106 दि० 29.6.75 को निरस्त किया

प्रा०र०रा०

जाकर ग्राम पण्डवाला के ख०नं० 167 रकबा 10.78 है० भूमि मे अपीलार्थी का सही नाम रानाराम पुत्र भंवरलाल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं० 1 ने कैम्प मे अपना जवाब पेश कर अनापत्ति प्रस्तुत की है रेस्पोडेन्ट सं० 2 ने भी अपना जवाब प्रस्तुत कर उक्त भूमि में कन्हैयालाल के स्थान पर रानाराम शुद्ध किया जाना सही होना कथित किया है। रेस्पोडेन्ट सं० 3,5 ने भी पूर्व में जरिये अधि० उपस्थित होकर अपना राजीनामा/सहमति प्रस्तुत की है। रेस्पोडेन्ट सं० 4 ने कैम्प में व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपनी मौखिक सहमति प्रकट की है।

हमने उपस्थित पक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तकरण सं० 106 ग्राम पण्डवाला की नकल के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख०नं० 151 के खातेदार भंवरलाल पुत्र तुलछीराम के फौत होने पर उसके वारिसान की खातेदारी दर्ज की गई है, जिसमे कन्हैयालाल नाम दर्ज है। भूमि के वर्तमान ख०नं० 167 में कन्हैयालाल का 1/4 हिस्सा दर्ज है। अपील के साथ प्रस्तुत रूप नकल जमाबन्दी ख०नं० 123 में रानाराम पुत्र भंवरलाल 1/4 हिस्सा दर्ज है। प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान, राशनकार्ड पत्र में भी रानाराम पुत्र भंवरलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहलकार को

दर्ज की अपीलान्ट के अन्य वारिसो ने भी अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम कन्हैयालाल नहीं होकर रामाराम होना दर्शाया है व रामाराम दर्ज करने पर अपनी सहमति प्रदान की है रेस्पो० सं० 1, व 2 ने भी अपील स्वीकार करने पर अपनी सहमति प्रकट की है पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं रेस्पोण्डेण्टगण की सहमति के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पण्डवाला के नामान्तकरण 106 स्वीकृति दि० 29.6.75 को अपीलान्ट की हद तक निरस्त किया जाकर तहसीलदार डेगाना को रिमाण्ड करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जाँच करते हुए पुनः नामान्तरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि० 14.10.21 को प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 कैम्प खुडीकलां में मजमे आम में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)